न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

तसीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
जस्व वाद संख्या : 497/2016
CMS NO. : 2016/00247

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादी ::–
1. मेणी पत्नि गुमान		1. लालु पुत्र कजा
2. साबु पुत्र गुमान		2. भंवरू पुत्र कजा
3. भंवरू पुत्र अजमाल		3. नूरी पत्नि धुकल
4. बाबू पुत्र अजमाल		4. रमेश पुत्र धूकल
5. नैना पुत्र कालू		5. रमजान पुत्र धूकल
6. शंकर पुत्र छोटु		6. नैना पुत्र धूकल
7. रेशमा पुत्र छोटु		7. बांगड़ सीमेन्ट कम्पनी भीमगढ़(रास)
8. सोकिन पुत्र छोटु		8. तहसीलदार जैतारण,
9. देवा पुत्र गुमान		9. सब रजिस्ट्रार, जैतारण
सभी जाति मेहरात निवासीगण भीमगढ़ तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान।		तहसील–जैतारण, जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.04/08/2016

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र गुर्जर, अधिवक्ता, वादीगण।
2. तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 16/02/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादीगण की पुश्तैनी कब्जे काश्त कृषि भूमि राजस्व ग्राम भीमगढ, पटवार सर्कल रास द्वितीय तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नम्बर 1963 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किस्म चाही अव्वल ख0नं0 1965 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा किस्म चाही अव्वल, ख0नं0 1966 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा किस्म चाही अव्वल ख0नं0 1967 रकबा 21 बीघा किस्म चाही अव्वल खसरा नम्बर 1968 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा किस्म चाही अव्वल खसरा नम्बर 2042, रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा किस्म सेवज अव्वल ख0नं0 1964 रकबा 03 बिस्वा गै0मु0 बेरा कुल कृषि भूमि का क्षेत्रफल 42 बीघा 18 बिस्वा आई हुई है। जिसमे वादीगण कुल कृषि भूमि मे 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार मौके पर आज दिन तक 1/2 हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है। वादपत्र के पद संख्या एक मे बताये खसरा नम्बरान् की कृषि भूमि वादीगण का 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादी संख्या एक से छह का भी वादपत्र के पद संख्या एक में बताई गई समस्त खसरा नम्बरान् की भूमि के खातेदार काश्तकार है, वादीगण का मौके पर आज दिन तक अपने 1/2 हिस्से की भूमि मे कब्जा व काश्त है। प्रतिवादीगण संख्या एक से छह ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

[illegible] नम्बर 2042 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा की कृषि भूमि मे से अपने हिस्से की /2 हिस्से की भूमि को दिनांक 21/02/1966 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान के सीबा, करना, रामा, हजारी पुत्रगण उजीरा कौम मेरात निवासी भीमगढ को बेचान र दी जिसका म्युटेशन क्रेता द्वारा दिनांक 31/07/1966 को भरा गया, फिर भी टवारी की गलती के कारण खसरा नम्बर 2042 मे प्रतिवादी संख्या एक से छह का क्त खसरा नम्बरान् की भूमि मे 1/2 हिस्सा नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि तिवादीगण ने अपने सम्पूर्ण हक हकूको हिस्से की कृषि भूमि बेचान कर दी गई थी। खरीददार ने खसरा नम्बर 2042 की 1/2 हिस्से की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2042 की कृषि का बंटवाडा कराकर खसरा संख्या 2042/1 मे नाम दर्ज करा लिया। प्रतिवादीगण संख्या एक से छह का उक्त खसरा नम्बरान् की कृषि भूमि मे 1/2 हिस्से आज भी दर्ज है। वादीगण प्रतिवादीगण संख्या एक से छह का नाम हटाने की घोषणा की डिकी पाने के अधिकारी है व वादीगण खसरा नम्बर 2042 के 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भूमि पर अपने नाम दर्ज करवाने के कारण श्रीमान् की सेवा मे वादीगण की और से यह वादपत्र घोषणा का प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 2042 अपने हिस्से 1/2 की भूमि का बेचान करने के बाद भी संवत 2024 से 2027 मे बेचाणकर्ता प्रतिवादीगण का नाम पुनः राजस्व रेकर्ड मे पटवारी हल्का की गलती से नाम दर्ज हो गया। जिसे राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाना न्यायतन अति आवश्यक है। खसरा संख्या 2042 की कृषि भूमि को राज्य सरकार द्वारा अवाप्त कर ली गई है। लेकिन वादीगण का उक्त खसरा नम्बरान् की कृषि भूमि पर 1/2 हिस्से पर आज भी कब्जा काश्त है। वादीगण ने उक्त खसरा नम्बरान् की कृषि भूमि को व वादीगण के 1/2 हिस्से की भूमि का न तो राजस्थान सरकार से मुआवजा प्राप्त नही किया है, न ही उक्त कृषि भूमि का कब्जा आज दिन तक सुपूर्द किया है। आज भी वादीगण का उक्त विवादित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि में कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण को इस आशय की जानकारी हो गई है कि खसरा नम्बर 2042 मे नाम दर्ज है तब दिनांक 04/07/2016 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि हम उक्त खसरान् की भूमि की रकम(राशि) प्रतिवादी संख्या सात से प्राप्त कर लेगे, तब वादीगण प्रतिवादी संख्या सात से सम्पर्क कर व राजस्व रेकर्ड व रजिस्टर्ड बैचाण की नकले बताकर प्रतिवादी संख्या सात को इतला दी कि उक्त विवादित खसरान् की कृषि भूमि प्रतिवादगण संख्या एक से छह ने अवाप्त से पूर्व ही बेचाण कर दी है। अगर प्रतिवादीगण संख्या एक से छह अपने 1/2 हिस्से की कृषि भूमि बेचाण कर दी अब प्रतिवादीगण संख्या एक से छह उक्त भूमि का रजिस्टर्ड बेचान करने की ऐलानिया धमकी दे रहे है। अगर प्रतिवादीगण संख्याएक से छह ने बिना कसी कब्जे के आधार पर बेचाण कर दी तो वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी [illegible] संभव नही हो सकेगी व विभिन्न प्रकार के कब्जे को लेकर फौजदारी [illegible] की मुकदमेबाजी बढेगी जिससे वादीगण को काफी आर्थिक नुक्शान होगा त[illegible] वादीगण को अपने हक हकुक की कृषि भूम से महरूम होना पडेगा। प्रतिवादीगण संख्या एक से छह को खसरा संख्या 2042 की कृषि भूमि का रजिस्टर्ड बेचाण करने का एवं मुआवजा प्रापत करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

कोई कानुनी अधिकार नहीं होने के कारण वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का यह वादपत्र प्रस्तुत कर रहा है एवं उक्त विवादित खसरान् की कृषि भूमि पर पुश्तैनी समय से लेकर आज दिन तक लगातार शान्तीपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा है व वादीगण शान्तीपूर्वक उक्त कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग लगातार करता आ रहा है। वादीगण कानूनन विवादित खसरान् की कृषि भूमि मे राजस्व अधिकारीयो द्वारा गलत नाम दर्ज करने के कारण राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादीगण संख्या एक से छह का नाम हटाने की घोषणा पाने का अधिकारी है व उक्त विवादित खसरान् की कृषि भूमि को अपने नाम की घोषणा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या आठ लेण्ड लॉर्ड होने के कारण पक्षकार बनाया गया है व प्रतिवादी संख्या 9 सब रजिस्टार राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने के कारण पक्षकार बनाया गया है जो इस वादपत्र मे आवश्यक पक्षकार है। बिनाय दावा दिनांक 04/07/2016 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त कृषि भूमि का रजिस्टर्ड बेचान करने की धमकी देने पर बमुकाम भीमगढ तहसील जैतारण मे उत्पन्न हुआ है जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे होने के कारण श्रीमान् के समक्ष अन्दर म्याद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी को जवाब दावा पेश करने का अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाबदावा पेश नहीं करने से जवाबदावा बन्द किया गया। वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथपत्र पेश किया, सामिल मिसल है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वादपत्र का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

1. वादीगण के वादपत्र के अनुसार वादीगण वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम भीमगढ, पटवार सर्कल रास द्वितीय तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नम्बर 1963 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किस्म चाही अव्वल ख0नं0 1965 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा किस्म चाही अव्वल, ख0नं0 1966 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा किस्म चाही अव्वल ख0नं0 1967 रकबा 21 बीघा किस्म चाही अव्वल खसरा नम्बर 1968 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा किस्म चाही अव्वल खसरा नम्बर 2042, रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा किस्म सेवज अव्वल ख0नं0 1964 रकबा 03 बिस्वा गै0मु0 बेरा में 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 01–06 द्वारा खसरा संख्या 2042 रकबा 07–01 बीघा में से अपने 1/2 हिस्से की भूमि दिनांक 21.02.1966 जरिये रजिस्टर्ड बैचान नसीबा, करना, रामा, हजारी पुत्रगण उजीरा कौम मेरात निवासी भीमगढ को बेचान कर दी, जिसका म्युटेशन क्रेता के पक्ष में दिनांक 31/07/1966 को भरा गया, फिर भी पटवारी की गलती के कारण खसरा नम्बर 2042 मे प्रतिवादी संख्या एक से छह का उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि मे 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया, जो कि एक त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि हैं। क्रेतागण ने खसरा संख्या 2042 की 1/2 हिस्से की कृषि भूमि का बंटवारा करवा लिया जो अलग होकर खसरा 2042/1 के रूप में दर्ज हो चुकी है। अतः खसरा संख्या 2042 रकबा 07–01 बीघा की भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 से 06 का नाम हटा कर वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। डिक्री वादीगण के पक्ष में जारी कि जावें। तः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

वादीगण द्वारा वादपत्र में उल्लेखित कथित बैचाननामा दिनांक दिनांक 21.02. 966 के साक्ष्य के रूप में एक रूपये के स्टाम्प पर कथित बैचाननामा की प्रमाणित कार्बन कॉपी प्रस्तुत की है। जिसके सक्षम स्तर से पंजीकृत दस्तावेज होनें सम्बन्ध में सन्देह है। साथ ही वादीगण द्वारा वादपत्र में कथन किया गया कि थित बैचाननामा दिनांक 21.02.1966 द्वारा नसीबा, करना, रामा, हजारी पुत्रगण जीरा द्वारा वादग्रस्त आराजी क्रय की गई थी, लेकिन वादीगण में से कोई भी यक्ति उक्त कथित क्रेतागण के रूप में शामिल नहीं है तथा न ही वादीगण द्वारा यह पष्ट की गया है कि कथित क्रेतागण नसीबा, करना, रामा, हजारी पुत्रगण उजीरा ौर उनका क्या सम्बन्ध है। वादीगण द्वारा कथित बैचाननामा द्वारा स्वीकृत नामान्तरण सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है तथा न ही नामान्तरण की प्रति प्रस्तुत की । अतः यह स्पष्ट है कि वादीगण पूर्ण स्पष्टता एवं स्वच्छ हाथों के साथ न्यायालय समक्ष उपस्थित नहीं हुये है तथा न ही वादीगण वादपत्र में अंकित कथनों एवं थ्यों तथा वांछित अनुतोष को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कर पाये है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वाद वादी बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से ारिज किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा–88, 188 जस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वादीगण के पक्ष में साबित नहीं होनें एवं ारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड जैतारण (पाली) जैतारण
(जिला–पाली)

र्णय आज दिनॉक 16/02/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested